

## FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Arbitration Case No.-02/2020

Arun Rishi &amp; Anr .....Petitioner.

Versus

The State of Bihar &amp; Ors.....Opposite Party.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	14.05. 2024	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>प्रस्तुत वाद कटिहार जिला के मौजा-पागलबाड़ी, अवस्थित भूमि जिसे विभाग द्वारा एन0एच0 131A (पूर्णिया-नरेनपुर खंड) के निर्माण हेतु अर्जित किये जाने के आलोक में निर्धारित मूल्य से कम मुआवजा राशि दिये जाने के विरुद्ध दायर किया गया है।</p> <p>आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक दिनांक 16.08.2022 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद के निष्पादन में कोई अभिरुचि नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में वाद को अनावश्यक लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को "प्रमाद में खारिज" (Dismissed for default) किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजें। <b>लेखापित एवं शुद्धित।</b></p> <p style="text-align: center;"><b>आयुक्त,</b> पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।</p> <p style="text-align: center;"><b>आयुक्त,</b> पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।</p> <p>ज्ञापांक .....दिनांक.....</p> <p>प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ प्रेशित।</p> <p>प्रतिलिपि :- परियोजन निदेशक, N.H.A.I.(P.I.U.), Saheban Hata, House of Sikandar Singh ( Ex. M.L.A.), Purnea को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ प्रेशित।</p> <p style="text-align: right;"><b>आयुक्त के सचिव,</b> पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।</p>	